अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–7/विविध–04–44/2024 **/पटना, दिनांक..................**

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **अन्य विभागों/निगमों द्वारा किये गये डिबार/डिबार मुक्त संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर विभागीय संसूचन हेतु अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कतिपय विभागों/निगमों द्वारा विभिन्न संवेदकों को किये गये डिबार/डिबार मुक्त की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग/निगम का नाम	ज्ञापांक/ दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संवेदक Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+Po-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213, (एकरारनामा सं०-218 F2 of 2022-23 Date-21.11.2022)	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	ज्ञापांक–1820 दि०–10.03.2026	एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB के कंडिका–3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक–2131 दिनांक–13.03.2009 के आलोक में निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है।
2	संवेदक Ira Infrastructure, Prop-Mohd Imtiyaz Alam, Fulwari, P.O-Terhagachh, Dist-Kisanganj-855101 (निबंधन संख्या–BCD Class-II/2240278)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–2516(भ) दि०–13.03.2026	आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।
3	संवेदक रितेश विशाल, At-Near DM Kothi Road, Srinagar Hata, Purnea-854301, (Reg. No-BCD-3220324 Class-III)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–2515(भ) दि०–13.03.2026	आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।
4	संवेदक विकास कौशिक, S/O-Birendra Narayan Singh, At-Ward No-16, BSNL Tower, Thana-Chowk, Purnea-854301 (Reg. No-BCD-1240092 Class-I)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–2514(भ) दि०–13.03.2026	आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

5	संवेदक कुणाल किशोर सिह, At-Gaushala, Katihar-854105, (निबंधन संख्या–BCD Class-II/2230228)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–2517(भ) दि०–13.03.2026	आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है। इनका निलंबन अवधि (एक वर्ष) पूर्ण होने के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगा।
6	संवेदक श्री बजरंग कुमार, ग्राम–दुर्गापुर पो०–कलेर फतेहाबाद, अरवल, पिन–824127 (निबंधन संख्या–WRD280825C1IN32, श्रेणी–प्रथम)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–1506 दि०–17.03.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11(क) के कंडिका–(ii) के तहत इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।
7	संवेदक M/S Want Media Solution, Vill-Yamunapur, P.O-Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 (निबंधन संख्या–BCD-Class-II/2230314)	भवन निर्माण विभाग	ज्ञापांक–2721(भ) दि०–19.03.2026	भवन निर्माण विभाग का आदेश संख्या–77(भ) दिनांक–02.01.2025 द्वारा किये गये निलंबन को यथावत् रखा जाता है।
8	संवेदक छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, एम०डी०–श्री अशोक कुमार, पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद, पिन–804408 (निबंधन संख्या–WRD030224C1CO22201, श्रेणी–प्रथम)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–1556 दि०–19.03.2026	बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11(क) के कंडिका–(ii) के तहत इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।
9	संवेदक M/S Systematic & Advance Pvt. Ltd, MD-Pankaj Kumar, Flat No-101, R.K Avenue Road, Rajendra Nagar, Patna-800016 (निबंधन संख्या–11/2019, श्रेणी–प्रथम)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–1673 दि०–24.03.2026	जल संसाधन विभाग का आदेश सं०–78 दिनांक–06.01.2026 द्वारा किये गये डिबार आदेश से मुक्त किया जाता है।

अनु0–यथोक्त।

2. कॉलम 4 में अंकित संबंधित विभाग के पत्र का संदर्भ भी लिया जाना आवश्यक होगा।
3. यह सूचना केवल विभागीय संसूचन एवं परिचालन के लिए है।

विश्वासभाजन

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–44/2024– **/पटना, दिनांक............**

प्रतिलिपि :– मुख्य महाप्रबंधक (परि0) बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांकों के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

कृ०पृ०उ०

2. आपके विभाग/निगम से संबंधित प्रविष्टि में अशुद्धि परिलक्षित होने पर अवगत कराने की कृपा की जाए।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–44/2024– 2621(E)w **/पटना, दिनांक** 15/4/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/ कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

15/04/26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

15.04.26

D:\Avinash Work Folder\Black Listing, Suspension Letter of Other Dept..docx

बिहारराज्य शैक्षणिकआधारभूतसंरचनाविकासनिगमलिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENTCORPORATIONLTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No:0612 - 2660850 *Fax No :0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

कार्यालय–आदेश

संख्या– 46 पटना, दिनांक–10/3/26

Construction of 10+2 Level School Building at USSS Tarureshwarpur, Gwalpara (SSS-1288) जिला मधेपुरा के निर्माण कार्य (एकरारनामा संख्या–218 F2 of 2022-23 Date:-21-11-2022) ससमय पूर्ण करने हेतु इस कार्य के संवेदक, Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+PO-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213 को संबंधित कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के द्वारा अनेकों बार निदेशित किया गया परंतु वर्तमान में संवेदक द्वारा निर्माण कार्य लगभग 85% ही कराया जा सका है साथ ही कई महीनों से बंद/धीमी गति से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक हैं। तद्‌लोक में कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) के पत्रांक–BSEIDC/MDP/DMT/520 दिनांक–08.12.2025 के माध्यम से संवेदक, Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+PO-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213 को Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिस्थिति में विचारोपरांत संबंधित EE/DMT के अनुशंसा के आलोक में संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधानों SBD के ITB के कंडिका–3.3 एवं 4.8 तथा पथ निर्माण विभाग का ज्ञापांक–2131 दिनांक–13.03.2009 के आलोक में संवेदक, Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+PO-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213 को निगम द्वारा Defaulter घोषित करते हुए इन कार्यों के पूर्ण होने तक अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

10/3/26
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1820 पटना, दिनांक–10/3/26
प्रतिलिपिः–"Bulbul Kumari, Ward No-04, Vill+PO-Makdampur, PS-Puraini Dhapdhara, Dist-Madhepura-852213" को सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/26
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1820 पटना, दिनांक–10/3/26
प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

10/3/26
मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः–BSEIDC/TECH/979/2016-Part-V- 1820 पटना, दिनांक–10/3/26
प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), जिला–मधेपुरा/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDCको सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/26
मुख्य अभियंता

आ0सं0:–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–10 / 2025........................दिनांक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

पूर्णियाँ परिक्षेत्र अन्तर्गत Construction of 5 No of Panchayat Level Fish Market at Maidho Haat, Himmat Nagar Haat, Haldikhora Haat, Partkoi Haat, Mehara Haat, Block-Kochadhaman in Kishanganj District (Tender Id-101341) कार्य के निविदा में जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (अभियंत्रण कोषांग) का आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–228 दिनांक–16.07.2025 द्वारा संवेदक, Ira Infrastructure, Prop-Mohd Imtiyaz Alam, Fulwari, P.O-Terhagachh, Dist-Kisanganj-855101 को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी हैं।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक–26.11.2025 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया । तदालोक में विभागीय पत्रांक–11112(भ) दिनांक–12.12.2025 को संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया। जिसका जवाब प्राप्त ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन / कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–17.02.2026 को हुई जिसमें समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतः संवेदक, Ira Infrastructure, Prop-Mohd Imtiyaz Alam, Fulwari, P.O-Terhagachh, Dist-Kisanganj-855101 का निबंधन संख्या–BCD Class-II/2240278 को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता हैं ।

ह0 / –

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–10 / 2025........................ पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–संवेदक, Ira Infrastructure, Prop-Mohd Imtiyaz Alam, Fulwari, P.O-Terhagachh, Dist-Kisanganj-855101 का निबंधन संख्या–BCD Class-II/2240278 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–10 / 2025...2516(अ)...पटना, दिनांक– 13/3/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरिय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.3.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

आ0सं0:—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—13 / 2025........................दिनांक—

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर प्रखंड के भतोरिया पंचायत सरकार भवन के निविदा में गलत अनुभव प्रमाणपत्र समर्पित करने के कारण संवेदक, रितेश विशाल At-Near DM Kothi Road, Srinagar Hata, Purnea-854301 (Reg.No.-BCD-3220324 Class-III) को दोषी मानते हुए मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—3001(भ) दिनांक—04.09.2025 द्वारा संवेदक के विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली—2007 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक—26.11.2025 को हुई जिसमें संवेदक, रितेश विशाल, At-Near DM Kothi Road, Srinagar Hata, Purnea-854301 (Reg.No.-BCD-3220324 Class-III) से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया गया । तदालोक में विभागीय पत्रांक—11106(भ) दिनांक—12.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । संवेदक का स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त ।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन / कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक—17.02.2026 को हुई जिसमें समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतः संवेदक, रितेश विशाल, At-Near DM Kothi Road, Srinagar Hata, Purnea-854301 (Reg.No.-BCD-3220324 Class-III) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्षो के लिए निलंबित किया जाता हैं ।

ह0 / —

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—13 / 2025........................ पटना,दिनांक—

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः—संवेदक, रितेश विशाल, At-Near DM Kothi Road, Srinagar Hata, Purnea-854301 (Reg.No.-BCD-3220324 Class-III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—13 / 2025..2515(भ).पटना,दिनांक—13/3/26

प्रतिलिपिः—सचिव के आप्त वरिय सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आ0सं0:–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–15 / 2025.............................दिनाक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर प्रखंड के भतोरिया पंचायत सरकार भवन के निविदा में गलत अनुभव प्रमाण समर्पित करने के कारण संवेदक, विकास कौशिक, S/o-Birendra Narayan Singh, At-Ward No-16, BSNL Tower, Thana-Chowk. Purnea-854301 (Reg.No.-BCD-1240092 Class-I) को दोषी मानते हुए मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3001(भ) दिनांक–04.03.2025 द्वारा संवेदक के विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन / कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक–26.11.2025 को हुई जिसमें संवेदक, विकास कौशिक, S/o-Birendra Narayan Singh, At-Ward No-16. BSNL Tower, Thana-Chowk, Purnea-854301 से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया गया । तदालोक में विभागीय पत्रांक–11104(भ) दिनांक–12.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन / कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–17.02.2026 को हुई जिसमें समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतः संवेदक, विकास कौशिक, S/o-Birendra Narayan Singh, At-Ward No-16, BSNL Tower, Thana-Chowk, Purnea-854301 (Reg.No.-BCD-1240092 Class-I) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्षो के लिए निलंबित किया जाता हैं ।

ह0 / –

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–15 / 2025........................ पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–संवेदक, विकास कौशिक, S/o-Birendra Narayan Singh, At-Ward No-16, BSNL Tower, Thana-Chowk, Purnea-854301 (Reg.No.-BCD-1240092 Class-I) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–15 / 2025..2514(भ) पटना,दिनांक–13/3/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / ऊर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना / मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आ0सं0:–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–12/2025..........................दिनांक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर प्रखंड के भतोरिया पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की निविदा में गलत अनुभव प्रमाणपत्र अपलोड करने के कारण मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3001 अनु० दिनांक–04.09.2025 द्वारा संवेदक कुणाल किशोर सिंह, At-Gaushala, Katihar-854105 को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक–26.11.2025 को हुई बैठक में समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया । तदालोक में विभागीय पत्रांक–11107(भ) दिनांक–12.12.2025 को संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया । जिसका जवाब प्राप्त ।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक–17.02.2026 को हुई जिसमें समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया हैं।

अतः संवेदक, कुणाल किशोर सिंह, At-Gaushala, Katihar-854105 का निबंधन संख्या–BCD Class-II/2230228 को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता हैं । इनका निलंबन अवधि (एक वर्ष) पूर्ण होने के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

ह0/–

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–12/2025........................ पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः–संवेदक, कुणाल किशोर सिंह, At-Gaushala, Katihar-854105 का निबंधन संख्या–BCD Class-II/2230228 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–12/2025 2517(भ) पटना,दिनांक–13/3/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरिय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पत्र संख्या–26 / विविध–01–01 / 2026........................... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा के अंतर्गत चंदवा से बगवतपुर तक 6.50 कि0मी की लंबाई में गांगी नदी के दाँयें बाँध (आरा शहर सुरक्षा तटबंध) पर सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य तथा बगवतपुर से धरहरा तक 1 कि0मी0 की लंबाई में आरा मुख्य नहर के बाँयें बाँध पर पक्कीकरण कार्य (एजेंडा सं0–228 / 04 / 2025) एकरारनामा सं0–03SBD/2024-25 दिनांक–19.06.2025 के तहत संवेदक श्री बजरंग कुमार, ग्राम–दुर्गापुर पो0–कलेर फतेहाबाद, अरवल, पिन–824127 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–18.12.2026 है।

2. कार्यपालक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण में पाया गया कि कार्य स्थल पर वांछित मात्रा में श्रमबल, मशीनरी एवं आवश्यक सामग्री का अभाव है, जिससे निर्धारित समय सीमा तक कार्य पूर्ण होना संदेहास्पद है। कार्य की धीमी प्रगति के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–59 दिनांक–06.01.2026 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गई।

3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–163 दिनांक–09.01.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तत्पश्चात संवेदक के पत्रांक–15 दिनांक–19.01.2026 द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

4. संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा में Work programme dashboard पर दिनांक–17.02.2026 तक की मानवबल एवं मशीनरी के साप्ताहिक प्रतिवेदन में मानवबल 25 के विरूद्ध 5 एवं मशीनरी 18 के विरूद्ध 18 कार्यरत प्रतिवेदित किया गया साथ हीं मुख्य अभियंता, पटना द्वारा दिनांक–27.02.2026 को समर्पित अद्यतन सप्ताहिक प्रतिवेदन में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 15 प्रतिशत प्रतिवेदित किया गया है, जबकि WSIMS में उक्त कार्य Work programme के अनुसार माह फरवरी 2026 के अंत तक कार्य की भौतिक प्रगति 35 प्रतिशत होना चाहिए, जो Work programme के सापेक्ष कम है। उक्त से स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा कार्य के प्रति कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही बरती गयी है।

अतः मुख्य अभियंता, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक श्री बजरंग कुमार, ग्राम–दुर्गापुर पो0–कलेर फतेहाबाद, अरवल, पिन–824127 (निबंधन सं0–WRD280825C1IN32, श्रेणी–प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया जाता है।

ह0 / –

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :– 26 / विविध–01–01 / 2026 पटना / दिनांक :...

प्रतिलिपि :– श्री बजरंग कुमार, ग्राम–दुर्गापुर पो0–कलेर फतेहाबाद, अरवल, पिन–824127 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–01–01 / 2026 1506 पटना, दिनांक : 17/3/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

आ0सं0:–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलबन/कालोकृत–07/2024..........................दिनांक–

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सकारण आदेश

बिहार विद्यालय, परीक्षा समिति, पटना के फेज–II के अन्तर्गत सिन्हा लाईब्रेरी रोड स्थित मुख्य भवन के परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन के छत के पर प्री–फैब Structure का एक अतिरिक्त तल का निर्माण कार्य से संबंधित निविदा में फर्जी/जाली दस्तावेज अपलोड करने कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पत्रांक–2577 दिनांक–05.07.2024 द्वारा संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO-Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 को दोषी मानते हुए इनके विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक–13.09.2024 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण/निलंबन कालीकृत संबंधी बैठक हुई, जिसमें समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया है । तदालोक में विभागीय पत्रांक–8348(भ) दिनांक–17.10.2024 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त स्पष्टीकरण का जवाब संवेदक से प्राप्त है।

पुनः दिनांक–17.12.2024 को अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में कालीकरण/निलंबन कालीकृत संबंधी बैठक हुई, जिसमें संवेदक के स्पष्टीकरण पर समीक्षा किया गया । समीक्षोपरांत समिति द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को दो वर्षो के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय आदेश सह–पठित–ज्ञापांक–77(भ) दिनांक–02.01.2025 द्वारा संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO-Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या–BCD-Class-II/2230314 को आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए निलंबित किया गया था । तत्पश्चात् संवेदक के पत्रांक–शून्य दिनांक–19.03.2025 द्वारा उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया गया ।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–5737(s) दिनांक–07.05.2007 के कंडिका–11(घ) में स्पष्ट है कि दिये गये दण्ड के विरूद्ध संवेदक द्वारा तीस दिनों के अंदर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष अपील दायर किया जाना है।

विदित हो कि संवेदक द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अंदर अपील दायर नहीं किये जाने के कारण उनसे प्राप्त अपील अभ्यावेदन को सकारण आदेश संख्या–3770(भ) दिनांक–29.04.2025 द्वारा उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। उक्त सकारण आदेश के विरूद्ध संवेदक, M/s Want Media Solution द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेशवाद संख्या–11208/2025 दायर किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मौखिक आदेश दिनांक–13.01.2026 को पारित किया गया कि:–

" Admittedly in the present case, the appellate authority has dismissed the appeal solely on the ground of latches. It is to be noted that there is delay of only 30 days in filing the appeal, the authority ought to had condoned the delay in filing the appeal and passed the orders on merits instead of dismissing the appeal on a purely technical grounds. This Court as well as the Hon'ble Supreme Court in a catena of cases has time and again held that the statutory authorities more particularly the appellate authority while passing the orders ought to pass the orders on merit and not dismiss the case merely on the technical grounds.

402

Having regard to the same, the impugned order dated 29.04.2025 passed by Respondent No. 2 is set aside and the matter remanded back to the authority concerned for passing orders afresh. The petitioner shall file an application seeking coindonation of delay of 30 days in filing the appeal and on such application being filed, the authority shall condone the delay and pass necessary orders on merits in the main Patna High Court CWJC No.11208 of 2025(8) dt.13-01-2026 5/5 appeal. The authority shall endeavor to pass the final orders as expeditiously as possible preferably within a period of 12 weeks from the date of receipt of the copy of this order.

It is needless to mention that before passing any orders, the authority shall put the petitioner as well as any other interested parties on notice and grant them an opportunity of hearing. Any order passed shall be communicated to the parties.

With the above directions, the present writ petition stands allowed to the extend indicated above".

उक्त न्याय निर्णय के आलोक में याचिकाकर्त्ता M/s Want Media Solution बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष दिनांक–27.02.2026 को सुनवाई हुई । उक्त सुनवाई में संवेदक उपस्थित हुये जिसमें सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को उक्त मामले से संबंधित सभी संचिकाएं उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। दिनांक–13.03.2026 को पुनः सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील की सुनवाई हुई। **सुनवाई के क्रम में मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक द्वारा प्रकाशित निविदा संख्या–73/2023–24 में वित्तीय वर्ष–2020–21 का वार्षिक टर्न ओवर संबंधित कागजात अपलोड किया गया था जिसमें राशि ₹1,09,56,187/–(एक करोड़ नौ लाख छप्पन हजार एक सौ सतासी रूपये) अंकित है। परन्तु संवेदक के द्वारा ई०–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–44/2023–24 में वित्तीय वर्ष–2020–21 के वार्षिक टर्न ओवर से संबंधित जो कागजात अपलोड किया गया था उसमें राशि ₹69,85,747/–(उनहत्तर लाख पचासी हजार सात सौ सैतालीस रूपये) अंकित था । इस प्रकार निविदादाता द्वारा दो निविदा में एक ही वित्तीय वर्ष–2020–21 के लिए दो तरह के कागजात अपलोड किया गया था जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि दोनों कागजात जाली (Fabricated) है, जो निविदा शर्तो के प्रतिकूल है।**

संवेदक द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि मेरे द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना में चार प्रकाशित निविदा में भाग लिया गया, लेकिन संवेदक के पत्रांक–शून्य दिनांक–19.03.2025 द्वारा सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष पूर्व में किये गये अपील में दो ही निविदा में भाग लेने का उल्लेख किया गया था, जिसमें विरोधाभास है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा दी जा रही जानकारी फर्जी है।

अतएव उक्त वर्णित स्थिति में दिनांक–13.01.2026 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO-Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या–BCD-Class-II/2230314 के अपील अभ्यावेदन को सम्यक विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश संख्या–77(भ) दिनांक–02.01.2025 द्वारा किये गये निलंबन को यथावत् रखा जाता है।

ह०/–

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–भवन–13/अभि०प्र०(नि०)–03–निलंबन/कालीकृत–07/2024...................... पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–संवेदक, M/s Want Media Solution, Village-Yamunapur, PO-Alawalpur, P.S-Gaurichak, Dist-Patna-803203 का निबंधन संख्या–BCD-Class-II/2230314 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–07/2024 2721(अ1) पटना, दिनांक– 19/3/26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरिय आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/26

सरकार के सचिव।

पत्र संख्या–26 / विविध–01–09 / 2025............................ /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, एकंगरसराय के अंतर्गत ग्राम–पुलपर के पास लोकायन नदी के दायें बांध पर कटाव निरोधक कार्य (एजेंडा सं0–220 / 438 / 2025) एकरारनामा सं0–15SBD/2025-26 दिनांक–29.05.2025 के तहत संवेदक छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद, पिनकोड–804408 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–15.06.2025 थी।

2. स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं पाये जाने पर कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल एकंगरसराय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल में आवश्यक बढ़ोतरी कर कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया। इसके बावजूद दिनांक–18.06.2025 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 8 प्रतिशत ही है। संवेदक द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, बाढ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, एकंगरसराय के पत्रांक–800 दिनांक–18.06.2025 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गई।

3. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2851 दिनांक–25.06.2025 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। तत्पश्चात संवेदक के पत्रांक–शून्य दिनांक–01.07.2025 द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

4. संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना से संवेदक द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर पर स्पष्ट मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । तदालोक में मुख्य अभियंता, पटना के पत्रांक–192 दिनांक–14.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बाढ़ अवधि के उपरांत भी संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर अपेक्षित मशीनरी एवं श्रमबल नहीं लगाया गया। जबकि कार्य स्थल पर संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध है। उक्त संदर्भ में मुख्य अभियंता, पटना के पत्रांक–4754 दिनांक–31.12.2025 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण भी किया गया, लेकिन संवेदक द्वारा कोई भी जवाब समर्पित नहीं किया गया।

5. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना द्वारा दिनांक–02.07.2025 को समर्पित प्रगति प्रतिवेदन में कार्य की भौतिक प्रगति 9 प्रतिशत एवं दिनांक–22.01.2026 को समर्पित प्रगति प्रतिवेदन में भी कार्य की भौतिक प्रगति 9 प्रतिशत होना प्रतिवेदित किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–1065 दिनांक–19.02.2026 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना से कार्य के अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी। तदालोक में मुख्य अभियंता, पटना के पत्रांक–806 दिनांक–02.03.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तकनीकी सलाहकार समिति की 245वीं विशेष बैठक में एजेण्डा सं0–245 / 45 / 2026 के तहत स्थलीय स्थिति के अनुरूप कार्य कराने हेतु एवं कार्य के स्वरूप में बदलाव करते हुए बल्ला पाइलिंग की अवशेष लम्बाई में बल्ला पाइलिंग के स्थान पर गैबियन टो बनाते हुए कार्य कराने हेतु संशोधित अनुशंसा प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में संवेदक को संशोधित अनुशंसा के अनुरूप कार्य प्रारम्भ करने हेतु निदेशित किया गया, परंतु संवेदक द्वारा अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः मुख्य अभियंता, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद, पिनकोड–804408 (निबंधन सं0–WRD030224C1CO22201, श्रेणी–प्रथम) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :– 26/विविध–01–09/2025 पटना/दिनांक :.......................................

प्रतिलिपि :– छोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, एम0डी0–श्री अशोक कुमार, पूर्वी गांधी मैदान, जहानाबाद, पिनकोड–804408 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–01–09/2025 1556 पटना, दिनांक :.19/3/26......

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।